MARC

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/आई.टी.सेल/मं.बो./पार्ट-3/2023-24/667 भोपाल, दिनांक 20/05/2024

// आदेश //

श्री विजय कुमार जैन, मण्डी निरीक्षक (प्रभारी सचिव) कृषि उपज मण्डी समिति, आगर जिला आगर को मण्डी बोर्ड के पत्र क्रमांक/मण्डी बोर्ड/आई.टी.सेल/2023-24/377 दिनांक 08-04-2024 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था कि, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 10/01/2024 को प्रदेश की अ-वर्ग की समस्त 39 कृषि उपज मंडी समितियों में ई-मंडी योजना प्रवृत्त किये जाने के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें सभी आंचलिक संयुक्त/उप संचालकों तथा सचिवों को ई-मंडी योजना का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए गए है। किंतु वीडियो कांफ्रेंस दिनांक 18/03/2024 में की गई समीक्षा में प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 01/02/2024 से दिनांक 29/02/2024 तक कृषि उपज मंडी समिति आगर के सचिव के रूप में पदस्थ रहते हुए ई-मंडी योजना पर व्यापक रूप से संतोषजनक कार्यवाही नहीं की जाकर वरिष्ठालय के निर्देशों की अवहेलना की गई है तथा अपने आपको दंड का भागी बना लिया है।

उक्त कारण बताओं सूचना पत्र का उत्तर श्री विजय कुमार जैन, मण्डी निरीक्षक (प्रभारी सचिव) कृषि उपज मण्डी समिति, आगर जिला आगर द्वारा अपने पत्र दिनांक 12-04-2024 द्वारा प्रस्तुत कर लेख किया है कि, दिनांक 10/01/2024 को प्रदेश की 'अ' वर्ग की समस्त 39 कृषि उपज मंडी समितियों में ई-मंडी योजना पृवत किए जाने के संबंध में एक बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें सभी ऑचलिक संयुक्त / उपसंचालक तथा मंडी सचिवों को ई-मंडी योजना का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिये गये थे, जिसमें मौखिक रूप से यह निर्देश भी दिये गये थे कि अनुबंध/तौल को ऑनलाईन होने में यदि समय लगता है तो कम से कम प्रवेश पर्ची ऑनलाईन करना प्रारम्भ कर दिया जाये जिसके परिपालन में कृषि उपज मंडी समिति आगर ने प्रवेश पर्ची हेतु तत्काल व्यवस्था करते हुए प्रवेश पर्ची ऑनलाईन करना प्रारम्भ कर दिया था। अनुबंध ऑनलाईन करने की व्यवस्था हेतु दिनांक 07/02/2024 को 15 नग पी.ओ.एस. मशीन क्रय हेतु कार्य आदेश जारी किया गया, किंतु पी.ओ.एस. मशीन समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुबंध पर्ची जारी करना प्रारम्भ नही हो सका, क्योंकि अनुबंध पर्ची तत्काल प्रिंट पी.ओ.एस. से निकाल कर कृषकों को नीलामी में तत्काल उपलब्ध करवाना रहती है।

साथ ही यह भी लेख किया है कि पी.ओ.एस. मशीनों के अभाव में माह फरवरी 2024 में प्रवेश पर्ची की तुलना में अनुबंध, तौल एवं भुगतान जारी नहीं हो पाये। दिनांक 19/02/2024 को आगर मंडी में पी.ओ.एस. मशीनें प्राप्त हुई। तत्पश्चात तत्काल दिनांक 20/02/2024 से ही कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हुऐ नीलामी व्यवस्था में पी.ओ.एस. मशीन से ऑनलाईन अनुबंध जारी करना प्रारम्भ कर दिया गया है। माह मार्च 2024 में लगभग 100% नीलामी (अनुबंध/तौल/भुगतान) ऑनलाईन सुनिश्चित कर लिया गया है तथा वरिष्ठालय

के निर्देशों का प्राथमिकता से पालन किया जा रहा है। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही नही की जा रही है और ना ही वरिष्ठालय के निर्देशों की अवहेलना की जा रही है एवं मेरे द्वारा भविष्य में किसी प्रकार की लापरवाही नही की जावेगी का लेख है।

प्रकरण की समीक्षा उपरांत पाया गया कि दिनांक 01-02-2024 से 29-02-2024 की अवधि में 11992 गेटपास, 343 नीलामी (अनुबंध), 129 तौल, 128 भुगतान केण्चर किये जाने की कार्यवाही की गई है, जो ई-मण्डी योजना के संतोषजनक क्रियान्वयन की ओर इंगित करता है।

अतः उपरोक्त आधार पर श्री विजय कुमार जैन, मण्डी निरीक्षक (प्रभारी सचिव) कृषि उपज मण्डी समिति, आगर जिला आगर को उपरोक्त कृत्य के लिए भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति दोबारा न हो, के लिए सचेत किया जाकर प्रकरण एतद् द्वारा समाप्त किया जाता है।

(श्रीमन् शुक्ला)
प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/आई.टी.सेल/मं.बो./पार्ट-3/2023-24/668 भोपाल, दिनांक 20/05/2024

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

(1) निज सहायक, प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
(2) अपर संचालक (समस्त), म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
(3) संयुक्त संचालक, म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, उज्जैन।
(4) चीफ प्रोग्रामर, म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
(5) भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मंडी समिति, आगर जिला आगर।
(6) श्री विजय कुमार जैन, मण्डी निरीक्षक (प्रभारी सचिव) कृषि उपज मण्डी समिति, आगर जिला आगर।
(7) आदेश नस्ती/ विभागीय जांच/सतर्कता/ स्थापना अ-1/ गो.चरित्रावली, म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर।

प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल